



# फर्द अहकाम

धन्नालाल बनाम राजानन्द  
 नाम न्यायालय उपखण्ड अधिकारी जयपुर  
 केस संख्या 63/2021

क्रम संख्या	दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रूप से
		<p>                             आज्ञा दिनांक 26/11/21 को जारी की गई है, लेकिन                              तलब पत्र जारी नहीं की। अतः उपखण्ड अधिकारी                              को तलब 26/11/21 को निकालकर                              शीघ्र आदालत में उपस्थित पेश करे।                              मजदूर पत्रावली (वोटिंग) की जादेगी। पत्रावली दिनांक                              26/11/21 को पेश हो।                         </p> <p style="text-align: right;">                               उपखण्ड अधिकारी                              जयपुर                         </p>
26/11/21		<p>                             पत्रावली पेश हो। वकील वादी अनुष                              वकील वादी क वादीगर्भ को बच-                              बच आवाज लगाव है। अतः                              इतना प्रतिकार ले कि                              उपर नहीं। पत्रावली का मजदूर                              प्रतिकार पत्रावली को मजदूर                              हाथी क मजदूर पेश की जादेगी                              की जादेगी है। पत्रावली को                              शुभारंभ लेकर गजब निकल                              हो तब तक शीघ्र आदालत में                              हो।                         </p> <p style="text-align: right;">                               उपखण्ड अधिकारी                              जयपुर                         </p>